CHAS MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 929157210923020817
Date : 21-09-2023
प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2023-2024

[illegible] PUNAM DEVI W/O SANJAY SINGH,
NANDUA ASTHAN CHAS CHAS

[illegible] आपको सूचित किया जाता है कि आपका क्या गृह सं० 0070002577000M0 वार्ड सं० 7 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर [illegible] 0% कर निर्धारित किया गया है।
[illegible] तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
	स्व-निर्धारित कर की सूचना	
	गृह कर	131.00
	[illegible] कर	0.00
	[illegible] कर	0.00
	[illegible] कर	0.00
	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
	कुल राशि (प्रति तिमाही)	131.00

To be signed by the Applicant

[illegible] CHAS MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
[illegible] वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
[illegible] निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
[illegible] देय होगा
[illegible] 30 दिन के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
[illegible] (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
[illegible] घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की समानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने [illegible] (Fine) एवं जरूर राशि देय होगा।
[illegible] कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और [illegible] न ही आपने मालिकों / दखलकार को कोई [illegible]
[illegible] के अन्तर्गत माना जाएगा।

This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print